Jharkhand State Cooperative Milk Producers' Federation Ltd
Near Farmers Training Centre Campus, Sec-II, H.E.C., Dhurwa,
Ranchi – 834004, Jharkhand
Phone no: 7544003404/7360035219/0651-2443055/62

Email: purchase@jmf.coop

WEBSITE: www.jmf.coop

TENDER INVITATION FOR REGISTRATION OF TRANSPORTER (HEAVY GOODS VEHICLES) FOR TRANSPORTATION OF CATTLE FEED & OTHER MATERIALS

TENDER NO. JMF-PP-Cattle Feed-/2019-20/008

Date of Publish of Tender	:	12 June 2019
Last date for submission of Sealed Tender	:	24 June 2019 by 14:00 hrs

Name of Tenderer: ________________________________
Address:____
____
____
Telephone no: ___________________________________
Email Id____

BIDDING DOCUMENT

REGISTRATION OF CONTRACTORS FOR TRANSPORTATION OF CATTLE FEED/MINERAL MIXTURE&MISC ITEMS

(COMPLETE BIDDING DOCUMENT)

Time schedule for Tender process:

Date of publication of Tender Notification	12 June 2019
Start of Sale of Tender Document (During Office Hours)	12 June 2019
Last date for Distribution of Tender Document	22 June 2019
Last date for Receipt Tender in Sealed Envelope	24 June 2019 by 14:00hrs
Date & Time of the Opening Technical Bids	25 June 2019 (16:30 hrs)
Date and Time of the opening Financial Bids	Will be notified to the technically qualified tenderers

Note: This tender document contains 8 pages (total no. of pages including Annexure) and tenderers are requested to sign on all the pages.

INTRODUCTION:

When the famous White Revolution of the seventies and eighties – Operation Flood - swept through the country, Jharkhand, then a part of undivided Bihar served merely as a market and saw little of its benefits. Even though India stood self-sufficient in milk production, the eastern state of Jharkhand still depends on import of milk from other states. It was only in June 2013 when Jharkhand State Cooperative Milk Producers' Federation Ltd. (JMF) was formed by the Government of Jharkhand, with an aim to promote dairying as a source of livelihood in the rural parts of the state and propel Jharkhand towards self-reliance in milk and milk products.

JMF under the management of National Dairy Development Board (NDDB) started the milk procurement, processing and marketing activities in the state after taking over the existing Government Dairy at Ormanjhi in August 2014 and subsequently three other dairies at Deoghar, Koderma& Latehar. In 2016 NDDB supported in building a 1 Lakh Litre State of the Art Dairy Plant at Hotwar for the Jharkhand Milk Federation.

JMF has started milk procurement from 12 TLPD in August 2014 and reached up to 130 TLPD in March 2018 and has grown by more than ten-times in last three and half years of its operation. Today JMF is providing an alternative livelihood options to around 20000 rural families but initially, there was a challenge to establish JMF as a reliable institution for milk producers of Jharkhand with many inherited issues like low production and marketable surplus of milk, low interest of farmers towards animal husbandry (milch), dominance of middleman, poor dairy infrastructure etc. To overcome from such unfavourable conditions, utmost cares have been taken to maintain transparency at all levels which is the first and foremost value inherited from NDDB. As a part of maintaining transparency, we have provided milk sample testing facility to all individual pourers in their presence step by step and payment through their individual bank account. By doing this we have given fair and transparent system at village level, remunerative milk price to pourers and avoided involvement of middleman. Farmers have taken it as an opportunity and started milch animal rearing. As a result, milk procurement went up.

NDDB also agreed to lend its brand "Mother Dairy" – which is renowned for its high-quality milk and milk products in the country – to support local brand "Medha". It not only helped the brand to get established but also enable it capture a reasonable share of the Jharkhand Milk market. It is due to the consistent support that Medha receives, it is able to market about 1 lac litres of milk every day. We are thankful to and proud of the people we are associated with in this journey. It is extremely delighting to be able to touch and enrich so many lives at the same time.

पासपोर्ट साइज़ फोटो का स्पेस

परिवहन हेतु निविदा प्रपत्र-1

1. आवेदक का नाम ....
2. आवेदक की स्थिति : व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी ....
3. आवेदक का स्थायी पता
   ....
   ....
   ....
4. आवेदक का पत्राचार का पता
   ....
   (प्रमाणक का छायाप्रति संलग्न करें) :
   ....
   ....
5. आवेदक के अधिकृत व्यक्ति का मोबाइल नम्बर
   ....
6. आवेदक का पैन कार्ड संख्या ....
7. GST संख्या ....
8. परिवहन हेतु गाडियों की संख्या

स्वयंके गाड़ियों की संख्या			लीज/अनुबंध पर ली गयी गाड़ियों की संख्या		
16 MT	20 MT	24 MT	16 MT	20 MT	24 MT

9. आवेदक की वित्तीय स्थिति :

वित्तीय वर्ष	कारोबार (रु० लाख में)
2016-17	
2017-18	

(क) मैं यह सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी सत्य है। दी गयी जानकारी या उसके किसी अंश में किसी भी स्तर पर गलती पाये जाने पर मेरी निविदा झारखण्ड मिल्क फेडरेशन रद्द करने के लिये स्वतंत्र है।

(ख) निविदा की सभी शर्त स्वीकार्य एवं मान्य है।

दिनाकं

निविदादाता का हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

<u>निविदा प्रपत्र-2</u>

राँची से वैसे स्थानों/गंतव्यों की सूची जहाँ के लिये परिवहन दर आमंत्रित है

Sr. No.	स्थानों/गंतव्यों का नाम	प्रस्तावितभाड़ा (Lump sum)			प्रस्तावित भाड़ा (per MT)
	Vehicle Capacity	**16 MT**	**20 MT**	**24 MT**	
1	Bokaro/बोकारो				
2	Chatra/चतरा				
3	Deoghar/देवघर				
4	Deoghar (Sarath)/ देवघर (सारठ)				
5	Deoghar (Madhupur)/देवघर (मधुपुर)				
6	Dumka (Hansdiha)/ दुमका (हंसडीहा)				
7	Garhwa/गरवा				
8	Godda/गोड्डा				
9	Hazaribagh (Barkagaon) /हजारीबाग (बरका गाँव)				
10	Koderma (कोडेरमा)				
11	Latehar (लातेहार)				
12	Lohardaga (लोहरदगा)				
13	Palamu (Daltangunj) पलामू (डाल्टनगंज)				
14	Palamu (Bilaspur) पलामू (बिलासपुर)				
15	Ranchi district (villages) राँची के गाँव तक				
16	Khunti (खूँटी)				
17	Ramgarh (रामगढ़)				

दिनांक

निविदादाता का हस्ताक्षर मुहर के साथ

परिवहन निविदा की मुख्य शर्ते

1. निविदादाता निविदा प्रपत्र की शर्तो को भली-भांति पड़कर एवं समझकर भरेंगे ।अगर निविदा संबंधी कोई जानकारी / स्पष्टता प्राप्त करनी है तो मुख्य कार्यालय के मोबाइल संख्या 7544003404/7360035219 पर संपर्क किया जा सकता है ।
2. पशु आहार एवं अन्य सामग्री का परिवहन मेधा डेरी, होटवार से झारखण्ड के विभिन्न गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्तावित है तथा शुरुआत में मासिक परिवहन औसतन 200 एम.टी संभावित होगी।
3. निर्गत निविदा प्रपत्र में भरी गई निविदा ही स्वीकार की जायेगी । **भरी गई निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता का मुहर के साथ हस्ताक्षर अनिवार्य है।**
4. निविदा के साथ अग्रधन की राशि 10000/- (दस हजार रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो "झारखण्ड स्टेट को-ऑपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड" के नाम पर होगा तथा राँची में भुगतेय होगा। अग्रधन के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा । इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । निविदा में असफल निविदादाता का अग्रधन राशि 15 दिन के अंदर वापस किया जायेगा ।
5. सफल निविदा के अनिवार्य अहर्ता एवं योग्यता :-

   (क) निविदा के साथ अग्रधन की राशि रुपये 10000/- बैंक ड्राफ्ट।
   (ख) पैन कार्ड की छायाप्रति। (स्वप्रमाणित)
   (ग) माल एवं सेवा कर नामांकन की छायाप्रति।(स्वप्रमाणित)
   (घ) निविदादाता का पत्राचार पता प्रमाण-सहित ।(स्वप्रमाणित)
   (ङ) अंतिम तीन वित्तीय वर्ष का आयकर रिटर्न की छायाप्रति।(स्व प्रमाणित)
   (च) निविदादाता के पास कम से कम 3 गाड़ियों की उपलब्धता होनी चाहिए, जो स्वयं का या नियंत्रणाधीन/ अनुबंधित होनी चाहिए।
6. निविदादाता द्वारा भरे गये दर में परिवहन संबंधी सभी खर्च एवं अन्य कर शामिल होंगे । संवेदक द्वारा समर्पित विपत्रों में से नियमानुसार सर्विस टैक्स एवं इनकम टैक्स (TDS) की कटौती के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
7. निविदादाता को किसी भी सरकारी व अन्य किसी संस्थान से काली सूची मे नही डाला गया हो तथा उसपर किसी तरह का मुकदमा दायर न किया गया हो, का स्वप्रमाणित प्रपत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।
8. जिस निविदादाता का प्रस्तावित दर अधिक स्थानों के लिए न्यूनतम पाया जायेगा, दर संबंधित वार्तालाप के लिए उन्हें प्राथमिकता दिया जायेगा।
9. निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। अधिकृत प्रतिनिधि को उतना सक्षम होना चाहिए की निविदा खोले जाने के उपरांत दर वार्ता एवं अन्य शर्तो पर उनसे सीधी बात की जा सके, एवं वे निर्णय लेने मे सक्षम हो, क्योकि दर खोले जाने के उपरान्त दर एवं अन्य शर्तो पर वार्ता तत्काल की जा सकती है।
10. सामग्री परिवहन के दौरान रास्ते में वाहन दुर्घटना ग्रस्त होने की स्थिति में निर्धारित गन्तव्य स्थानों तक परिवहनकर्ता को अपने खर्च पर दूसरे वाहन से सामग्री लोड कर भेजने की व्यवस्था अविलम्ब करना होगा, ताकि पशुआहार, मिनरल मिक्सचर एवं अन्य सामग्री की बर्बादी न हो, एवं ससमय गन्तव्य स्थान पर आपूर्ति हो पाये ।

11. विशेष परिस्थिति में किसी दिन गाड़ी लोड /अनलोड नहीं होने की स्थिति में किसी प्रकार का हर्जाना का दावा मान्य नहीं होगा ।

12. सफल निविदादाता को सुरक्षा/ जमानत राशि झारखण्ड मिल्क फ़ैडरेशन में एकरारनामा अवधि तक के लिये जमा कराया जा सकता है।जमानत या सुरक्षा राशि डिमांड ड्राफ्ट या बैंक गारंटी के रुप में होगा जो किसी राष्ट्रीकृत/ अनुसूचित बैंक से निर्गत होगा तथा "झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड" के नाम होगा तथा राँची में भुगतेय होगा। इस राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा तथा एकरारनामा अवधि में निविदा के किसी शर्त के उल्लंघन अथवा अवहेलना करने पर उक्त राशि को पूर्णत: जब्त करने अथवा आंशिक कटौती के लिये झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड स्वतंत्र होगा।

13. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में वर्णित गन्तव्य स्थानों में से कम से कम 10 गन्तव्य स्थान के लिये अपना दर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

14. ट्रक लोडिंग का कार्य पूर्वाहन 10.00 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक ही किया जायेगा ताकि अपराहन 5:00 बजे तक चालान आदि प्रपत्र निर्गत किया जा सके ।

15. निविदादाता द्वारा विभिन्न गंतव्यों के लिए दिया गया दर न्यूनतम दूरी व रेगुलर उपयोग मे अपनाए जाने वाले रास्ते का प्रयोग के अनुरूप देना आवश्यक है ।

16. सफल निविदादाता को 100.00 रुपये मात्र के नॉन–जुडीसियल स्टैम्प पेपर पर बैधानिक रूप से झारखण्ड मिल्क फेडरेशन के साथ अनुवंध में करना होगा एवं सिक्योरिटी राशि जमा करना होगा, जो वाहन के क्षमता एवं गंतव्य स्थान के आधार पर जेएमएफ़ द्वारा तय किया जायेगा |

17. झारखण्ड मिल्क फेडरेशन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सामग्री ले जाकर निर्धारित गन्तव्य स्थान तक सुरक्षित पंहुचाना तथा वहाँ से पावती कराकर चालान /रिसीप्ट JMF ऑफिस में जमा करना होगा ।

18. संवेदक जिन्हें कार्य आवंटित होगा उनके द्वारा भेजी गई गाड़ी के चालक, खलासी द्वारा किसी कर्मचारी, कारखाना/कार्यालय को किसी प्रकार की क्षति पहुचाई जायेगी तो उसकी जिम्मेवारी संवेदक की होगी तथा उसकी भरपाई करनी होगीअथवा उनके परिवहन बिल से कटौती किया जायेगा।

19. परिवहन के समय, सामग्री भींगे रूप में पाये जाने, गिनती में कम पाये जाने एवं किसी अन्य प्रकार के क्षति के लिये परिवहन संवेदक जिम्मेवार होगें। उस स्थिति में उनके परिवहन बिल से सममूल्य धनराशि की कटौती की जायेगी ।

20. यदि परिवहन संवेदक द्वारा गाड़ी माँग की पूर्ति पूर्णत: या अंशत: लगातार 3 दिन तक नहीं की जाती है, उस स्थिति में जे.एम.एफ़.अन्य श्रोत से गाड़ी की व्यवस्था कर सामग्री आपूर्ति करने के लिये पूर्णत: स्वतंत्र होगा । उक्त मद में खर्च हुए अतिरिक्त परिवहन राशि को संवेदक के परिवहन विपत्र से समायोजित/कटौती की जाएगी ।

21. किसी प्रकार आपदा, लोकसभा एवं, विधान सभा चुनाव की स्थिति में इन शर्तो में ढील दी जा सकती है, जो पूर्णत: प्रबंधनके अधिकार क्षेत्र में होगा ।

22. निविदा में भरे गये परिवहन दर 10 जून 2019 को प्रचलित डीजल की कीमत (RATE) पर आधारित होंगी|

23. ईंधन के मूल्य मे कमी/बढ़ोतरी होने पर स्वीकृत दर में समानुपातिक कमी/वृद्धि की जाएगी। यह कमी/वृद्धि ईंधन के मूल्य में समेकित रूप से 6.00 रुपए प्रति लीटर की दर से कमी/वृद्धि होने पर ही मान्य होगी एवं इसकी

गणना जेएमएफ़ द्वारा निर्धारित फॉर्मूला एवं शर्त के आधार पर ही की जाएगी जिसे परिवहन संवेदक को स्वीकार करना होगा।

24. ट्रक की अधिकृत लोडिंग क्षमता से अधिक वजन का डिस्पैच नहीं किया जायेगा। गाड़ी की क्षमता का जाँच संवेदक या उनके प्रतिनिधि द्वारा की जायेगी। लोडिंग क्षमता से अधिक लोडिंग करवाते पाये जाने एवं उससे होने वाले किसी प्रकार के क्षति के लिये सवेदक स्वयं जिम्मेवार होगें। साथ ही इस स्थिति से यदि कारख़ाना को कोई क्षति होती है तो इसकी भरपाई उनके विपत्र/जमानत राशि से भी की जा सकती है।
25. निविदा प्रपत्र 2 मे दिये गए गन्तव्य स्थान से 20 कि. मी. तक की अतिरिक्त दूरी के लिए कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा।
26. संवेदक एवं JMF के बीच आपसी सहमती के आधार पर प्रस्तावित अवधि के विस्तार करने पर विचार किया जा सकता है।
27. यदि कुल गंतव्यों में से एक या अधिक निविदादाता सफल होते है तो वैसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार सुरक्षित होगा की वह बाँट कर एक या एक से अधिक निविदादाताओं को परिवहन कार्य दे सकते है।
28. वैसे निविदादाता जिनके पास अपना ट्रक है वे निविदा के साथ सभी ट्रक का ओनर बुक की छायाप्रति एवं बीमा की छायाप्रति एवं अवश्य संलग्न करें जिससे यह स्पष्ट हो सके की उनके द्वारा ट्रकों का निवंधन एवं बीमा अनुमान्य है।
29. सफल निविदादाता द्वारा सामग्री परिवहन हेतु भेजे गये ट्रक के चालक के पास ड्राइविंग लाईसेंस, भार वहन क्षमता का प्रमाण पत्र, ट्रक का बीमा तथा अन्य वैधानिक दस्तावेज़ होना अनिवार्य है।
30. सफल निविदादाता जिन्हें कार्यादेश निर्गत होगा, सामग्री परिवहन करने के उपरांतदस दिन के अंदर भुगतान हेतु सारे संबंधित प्रपत्र के साथ समर्पित करना होगा, सारे विपत्र के जांचोपरान्त विपत्र का भुगतान चेक/बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।
31. कार्य आवंटन का आदेश झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड के द्वारा निर्गत किया जाएगा तथा कार्य आवंटन के उपरांत किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में पहले आपसी सहमति से विचार विमर्श कर उसका निदान किया जायेगा। आपसी सहमति से निदान नही होने की स्थिति में प्रबंध निदेशक, झारखण्ड स्टेट को-आपरेटिव मिल्क प्रोडयूसर्स फेडरेशन लिमिटेड द्वारा लिया गया निर्णय दोनों पक्षो को मान्य होगा।
32. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र राँची होगा।
33. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को किसी भी स्टेज में रद्द करने का अधिकार प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन को सुरक्षित रहेगा।
34. निविदा में अलग कोई शर्त लिखना मान्य नहीं होगा,तथा अलग से शर्त देने पर वैसे निविदा को रद्द किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी शर्ते स्वीकार्य एवं मान्य है।

दिनाकं :   निविदादाता का हस्ताक्षर (मुहर के साथ)